डब्ल्यू. एम.- 10(5)/2016-

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 16.12.2016

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के विधिक माप विज्ञान नियंत्रक

विषय:विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी गई वस्तुएं), नियम, 2011 – रेडीमेड गारमेंट्स/हौजरी उत्पादों के लिए नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए परामर्शी - के संबंध में।

महोदय

अधोहस्ताक्षरी को रेडीमेड गारमेंट्स की लेबलिंग अपेक्षाओं के संबंध में वस्त एवं उद्योग संघ मंत्रालय से प्राप्त संदर्भों का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, विभाग के दिनांक 16 सितम्बर, 2016 के पत्र संख्या डब्ल्यू.एम.-10(5)/2016 के क्रम में, यह भी परामर्श दिया जाता है कि:

(i) विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी गई वस्तुएं) नियम, 2011 के तहत लेबलिंग अपेक्षाएं केवल विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 2(ट) में वर्णित पूर्व-पैकबंद वस्तुओं पर लागू होती है।

(ii) अतः, खुले रूप से बेजे जाने वाले गारमेंट्स के संबंध पूर्व-पैकबंद वस्तुओं संबंधी अनिवार्य लेबलिंग अपेक्षाएं लागू नहीं होती है।

(iii) दिनांक 1 जुलाई, 2017 से, खुदरा स्टोरों में खुले रूप में बेचे जाने वाले गारमेंट्स के लिए लेबलिंग अपेक्षाओं में केवल निम्नलिखित घोषणा करना शामिल हैं:

(क) उत्पाद का नाम/विवरण

(ख) आकार; से.मी. अथवा मीटर, जैसा भी मामला हो, के रूप में मीट्रिक सूचकांक में ब्यौरे सहित अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यताप्राप्त आकार सूचक – एस, एम, एल, एक्स-एल इत्यादि

(ग) एमआरपी

(घ) विनिर्माता का नाम, पूरा पता तथा ग्राहक सेवा नम्बर

3. उपभोक्ता को पूर्व-पैकबंद रूप में बेचे जाने वाले रेडीमेड गारमेंट्स के मामले में, नियमों के तहत अपेक्षित घोषणाएं की जाए। इसके अतिरिक्त, गारमेंट्स का आकार मीटर अथवा सेंटीमीटर, जैसा भी मामला हो, तथा अन्य अतिरिक्त ब्यौरे जैसे कि एस, एम, एल, एक्स-एल, एक्स-एक्स-एल, इत्यादि को अतिरिक्त घोषणा के रूप में उल्लिखित किया जाना आवश्यक है।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,
ह0/-
(बी.एन. दीक्षित)
निदेशक (विधिक माप विज्ञान)
दूरभाष: - 011 23389489/23385322
ई-मेल- dirwm-ca@nic.in

प्रति: (1) व्यापार सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ

(2) श्री जी. के. रजनीश, अवर सचिव, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात प्रभाग, वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ

(3) भारतीय वस्त्र विनिर्माता संघ, भारतीय हौजरी विनिर्माता संस्था परिसंघ, दक्षिण भारतीय हौजरी विनिर्माता संस्था, मुम्बई खुदरा वस्त्र डीलर संस्था परिसंघ एवं भारतीय खुदरा संस्था को सूचनार्थ।